

साँवरेन गोल्ड बाँण्ड योजना

भारत सरकार ने भारतीय रजिस्त्र बैंक के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये साँवरेन गोल्ड बाँण्ड जारी करने का नरिणय लिया है। साँवरेन गोल्ड बाँण्ड अक्टूबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक हर महीने जारी किये जाएंगे।

पृष्ठभूमि

- साँवरेन गोल्ड बाँण्ड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी।
- इस योजना के तहत कम-से-कम एक ग्राम सोना और अधिक-से-अधिक 500gm सोने के वज़न के मूल्य के बराबर बाँण्ड खरीदे जा सकते हैं। इसकी मयिाद आठ वर्ष और इसके लिये ब्याज की दर 2.5% है।
- इसका उद्देश्य देश के मंदिरों तथा घरों में जमा सोने की वशाल मात्रा को उत्पादक कार्यों में लगाना, सोने का आयात कम करना, वदेशी मुद्रा का संरक्षण करना तथा चालू खाता घाटे को कम करना है।

क्र.सं.	मद	वविरण
1.	नरिगमन (Issuance)	भारत सरकार की ओर से भारतीय रजिस्त्र बैंक द्वारा जारी किये जाएंगे।
2.	पात्रता	बाँण्डों की बकिरी वभिनिन व्यक्तियों, हट्टि अवभिजति परिवार (HUFs), टरस्ट, वशिववदियालयों और धरुमार्थ संस्थानों जैसे नविसी नकियायों तक ही सीमति रहेगी।
3.	मूल्य वर्ग	बाँण्डों को 1 ग्राम की बुनयिादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकति कयिा जाएगा।
4.	अवधि	बाँण्ड की अवधि 8 साल होगी और 5वें, छठे एवं 7वें साल में इससे बाहर नकिलने का वकिलप उपलब्ध होगा।
5.	न्यूनतम आकार	न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है।
6.	अधिकतम सीमा	खरीदने की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिये 4 kg, HUFs (Hindu Undivided Families) के लिये भी 4 kg और टरस्ट एवं इसी तरह के नकियायों के लिये 20 kg प्रता वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी, जसिके बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचति कयिा जाता है।
7.	संयुक्त धारक	संयुक्त रूप से धारण कयिे जाने की स्थति में 4 कलोग्राम की नविश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।
8.	भुगतान	बाँण्ड का भुगतान या तो नकद अदायगी (अधिकतम 20,000 रुपए तक) अथवा डिमिंड ड्राफ्ट या चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिके बैंकिंग के जरयिे कयिा जा सकेगा।
9.	नरिगमन फॉर्म	गोल्ड बाँण्डों को जीएस अधनियिम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी कयिा

		जाएगा। नविशकों को इसके लिये एक धारण (होलडिंग) प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बॉण्डों को डमिट स्वरूप में बदला जा सकेगा।
10.	वमिचन मूल्य	वमिचन मूल्य भारतीय रुपए में होगा जो 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पछिले 3 कार्य दविसों के सामान्य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा किया जाएगा।
11.	बकिरी का माध्यम	बॉण्डों की बकिरी बैंकों, स्टॉक होलडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों (जनिहें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कनिेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरयि या तो सीधे अथवा एजेंटों के जरयि की जाएगी।
12.	ब्याज दर	नविशकों को प्रतविर्ष 2.50 प्रतशित की नशिचति दर से ब्याज दिया जाएगा, जो अंकति मूल्य पर हर छह महीने में देय होगा।
13.	जमानत या गारंटी के रूप में	बॉण्डों का उपयोग ःरणों के लयि जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है।
14.	टैक्स देनदारी	आयकर अधनियम, 1961 (43, 1961) के प्रावधान के अनुसार, गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर टैक्स अदा करना होगा। कसिी भी वयक्तको SGB के वमिचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।
15.	ट्रेडिंग पात्रता	कसिी भी नरिधारति तथिपर बॉण्ड जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर बॉण्डों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजों पर हो सकेगी, जैसा कआरबीआई द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।